केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 13.04.2017

सीबीआई ने विमुद्रीकरण से सम्बन्धित अलग-अलग दो मामले दर्ज किए एवं तलाशी ली

सीबीआई ने वरिष्ठ प्रबन्धक/ शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अम्बावड़ी शाखा, अहमदाबाद ; प्राइवेट व्यक्ति ; अलग-अलग प्राइवेट फर्मों के चार मालिक एवं अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोटों (एस.बी.एन.एस.) के रूप में भारी नकद को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नये खोले गए विभिन्न बेनामी खातों में जमा किया गया एवं उक्त खातों के साथ ही साथ अन्य संस्थाओं के मध्य धन को बारी बारी से जमा/ निकाला गया तथा अन्त में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र , अम्बावड़ी शाखा, अहमदाबाद से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अन्य खातों में स्थानान्तरित कर दिया गया। इस मामले में सभी गैर के.वाई.सी. खाता धारक थे। इस मामले में 28.87 करोड़ रू. (लगभग) की धनराशि शामिल है।

आरोपियों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों सहित 08 स्थानों पर तलाशी ली गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

एक अन्य मामले में यूको बैंक, नवरंग पुरा, अहमदाबाद के तत्कालीन प्रबन्धक एवं सहायक शाखा प्रमुख ; अहमदाबाद के प्राइवेट फर्म के मालिक तथा अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 417, 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज हुआ जिसमें आरोप है कि बैंक कर्मी ने प्राइवेट फर्म/ नाम मात्र की कम्पनी तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ षड़यंत्र करते हुए यूको बैंक में नाम मात्र की कम्पनी के मालिक के चालू खाते में 1.40 करोड़ रू. (लगभग) की धनराशि के भारी निर्दिष्ट बैंक नोटों को विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान जमा की और इससे सरकार के साथ धोखाधड़ी की।

आरोपियों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों सहित 03 स्थानों पर तलाशी की जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

दोनो मामलों में आगे की जॉंच जारी है।

****